तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 322/2015 मूलाराम बनाम सुभाष आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2021	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । अवलोकन किया गया । बहस सूनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि रोही चक 294–500 आरडी में स्थित हैं। प्रार्थी के नाम से चक 294–500 आरडी में मु.नं. 232/2 में किला नम्ब्र 5,6,15,16,25 कुल 5 बीघा कमाण्ड एवं मु.नं.232/10 में किला नं.1ता25 कुज 24.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि है इस प्रकार कुल तादादी 29.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि स्थित हैं जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त आवंटन से लेकर चला आ रहा हैं। प्रार्थी अपनी भूमि के चारो ओर पत्थर गढी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी को सही सीमा का ज्ञान हो सके। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी की भूमि के पास है पत्थरगढी नहीं होने के कारण वाद–विवाद बढता है । सही सीमा का ज्ञान नहीं हो सकता है । अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का दबाना चाहता है इसलिए पत्थरगढी करवाना आवश्यक हैं। वकील प्रार्थी द्वारा चक 294–500 आरडी के मु.नं. 232/2 में किला नम्ब्र 5,6,15,16,25 कुल 5 बीघा कमाण्ड एवं मु.नं.232/10 में किला नं.1ता25 कुज 24.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि है इस प्रकार कुल तादादी 29.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के पत्थरगढी के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 4.1 तर4.4 व 6 ने पत्थरगढ़ी कराने में सहमति प्रकट की वर्तमान में उपरोक्त फसल काश्त कर रखी है पत्थरगढी करने से प्रार्थी की फसल व पुलिया दानो की नुकसान की संभावना व्यक्त की। पैरोकार राज द्वारा प्रकरण मे स्टेट का कोई हित/अहित प्रभावित नहीं होना एवं नियमानुसार प्रकरण के निस्तारण में सहमति व्यक्त की गई । हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मुताबिक संलग्न पटवार हल्का रोझां जमाबन्दी गांव 294–500 आरडी सम्वत 2071–2074 मु.नं. 232/2 व 232 /10 , आंशिक नक्शा नकल चक प्लान 294–50 आर डी एव प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 294–500 आरडी के मु.नं. 232/2 में किला नम्ब्र 5,6,15,16,25 कुल 5 बीघा कमाण्ड एवं मु.नं.232/10 में किला नं. 1ता25 कुज 24.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि है इस प्रकार कुल तादादी 29.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड में [illegible] सीमाज्ञान करवा सींवजौड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:40:11 IST
Reason: SelfAttested